न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 39/2018

अनवान :

1. कविता पुत्री भरताराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– सायला

बनाम

1. भरताराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– गैरसायल

दरख्वास्त बाबत : अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : **प्रार्थी**

निर्णय **दिनांक:** 10.5.18

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 2 एनटीआर के खाता सं0 55/04 के मु0नं0 8 के किला नं0 3 ता 7 की कुल 1.265 है0 मु0नं0 9 के किला नं0 11, 12, 1 की 0.759 है0 किला नं0 18 की 0.013 है0 मु0नं 18 के किला नं0 6 की 0.253 है0 किला नं0 15 की 0.253 है0 मु0नं0 19 के किला नं0 1/1 की 0.164 है0 किला नं0 10, 11 की 0.506 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 3.213 है0 जिसमें 3.174 है0 नहरी, 0.026 है0 रास्ता व 0.013 है0 खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरसायल 1 भरताराम के नाम 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो गैरसायल भरताराम को अपने पिता अमीलाल से विरासतन प्राप्त हुई है सायला व गैरसायल संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है वाद कृषि भूमि दादालाई संयुक्त पैतृक कृषि भूमि है जो पीढी दर पीढी विरासतन दर्ज चली आ रही है। सायला व गैरसायल संयुक्त रूप से वादगत कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे है पक्षकारान दावा का संयुक्त व अविभाजित परिवार है, संयुक्त आय व संयुक्त खर्चा है। गैरसायल एक शराबी किस्म का व्यक्ति है, जो अपना भला बुरा समझने में असमर्थ है प्रतिवादी सं0 1 अन्य लोगों के बहकावे में रहता है इसलिए वह अपने नाम दर्ज वाद कृषि भूमि को किसी भी समय रहन, बैय व मुन्तकिल कर सकता है और सायला व उसकी बहनों को उनके हक हिस्सा की कृषि भूमि से महरूम कर सकता है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद तामील अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं आया इसलिए उसके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील प्रार्थीया पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने चक 10 एनटीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता अप्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि को बैय व मुन्तकिल नहीं करने हेतु अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा

चाही है। अप्रार्थी बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आया है जिससे अप्रार्थी की मौन स्वीकृति होना प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी के विरूद्ध ताफैसला दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह रोही मोजा चक 2 एनटीआर के खाता सं0 55/04 के मु0नं0 8 के किला नं0 3 ता 7 की कुल 1.265 है0 मु0नं0 9 के किला नं0 11, 12, 13 की 0.759 है0 किला नं0 18 की 0.013 है0 मु0नं 18 के किला नं0 6 की 0.253 है0 किला नं0 15 की 0.253 है0 मु0नं0 19 के किला नं0 1/1 की 0.164 है0 किला नं0 10, 11 की 0.506 है0 इस प्रकार खाते का कुल योग 3.213 है0 जिसमें 3.174 है0 नहरी, 0.026 है0 रास्ता व 0.013 है0 खाला कृषि भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करें रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 10.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ